मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 नियम 6–7, जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :– सुश्री संजना जोशी आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्याः– 040/2024

1. साहिल कुमार पुत्र श्री जयचन्द जाति बिश्नोई साकिन लिखमीसर तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ राजस्थान।

——वादी

—:बनाम:—

1. जयचन्द पुत्र श्री रामरत्न जाति बिश्नोई साकिन लिखमीसर तहसील पीलीबगा जिला हनुमानगढ़।
2. आरजू पत्नी सतीश कुमार पुत्री श्री जयचन्द जाति बिश्नोई साकिन भागसर तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।
3. पूनम पत्नी भीमसैन पुत्री श्री जयचन्द जाति बिश्नोई साकिन भागसर तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।

———प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88, 209 आर.टी.ए. बाबत घोषणा एवं कब्जा काश्त

—:निर्णयः—

दिनांक :– 15/2/24

वादीगण की ओर से श्री अशोक कुमार बिश्नोई अधिवक्ता एवं प्रतिवादीगण की ओर से श्री संजय कुमार चाण्डक अधिवक्ता इस वाद में आज दिनांक को संजना जोशी आर.ए.एस उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश किया जाकर डिक्री की जाती है कि उभयपक्ष के मध्य हुए राजीनामा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम – 1955 की धारा 88, 209 के अन्तर्गत वाद में वर्णित कृषि भूमि तहसील पीलीबंगा के चक 7 एल.के.एस के खाता संख्या 29/70 के प.न. 9/285 (44) के किला न. 13/0.253, 14/0.253, 15/1/0.228, 16/1/0.228, 17/0.253, 18/0.253, 19/0.253, 20/0.253 की 1.974 हैक्ट. में प्रतिवादी नं. 1 जयचन्द का 1/2 हिस्सा यानी 0.987 हैक्ट. नहरी व इसी चक के खाता संख्या 30/71 के प.न. 9/285 (44) के किला न. 15/2/0.025, 16/2/0.025 हैक्ट. मे प्रतिवादी न. 1 जयचन्द का 1/2 हिस्सा यानी 0.025 हैक्ट. नहरी इसी तरह दोनों खातो की 1.012 हैक्ट. नहरी प्रतिवादी न. 1 जयचन्द पुत्र रामरत्न के नाम की कृषि भूमि में वादी व प्रतिवादी नं. 1 को **बहिस्सा बराबर बराबर के** खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

तहसीलदार (राजस्व) पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि घग्घर, वन विभाग, जोहड पायतन, आराजीराज न होने तथा अन्य किसी भी न्यायालय का कोई स्थगन आदि न होने, धारा 16 आर.टी.ए. की अवहेलना व रहन न होनें की व समस्त प्रकार के भार मुक्त होनें की दशा में स्थिति में उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड मे अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी

/गैरमुमकिन/गैर खातेदार) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकेन अपना–अपना वहन करेंगे। यह डिक्री आज दिनांक 15/2/24 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Sanjana 15/2/24

(संजना जोशी आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलेक्टर
पीलीबंगा

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा